संख्या: 39/2022/ 83/35-3-2022-1(32)/2016-टी0सी0-1

प्रेषक,

डा.संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव ,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आर्थिक बोध एवं संख्या,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनउ: दिनांक: 31 मार्च, 2022**

विषय: गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2021-22 में मद ओएच-36 के अन्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1,12,00,000/- (रू0 एक करोड़ बारह लाख मात्र) के समतुल्य राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 242/ले.-91/2004(2) दिनांक 31-03-2022 के सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पत्रांक-5-11/2021 आर.आई.सी. दिनांक 01.07.2021, पत्रांक-5-11/2021 आर.आई.सी. दिनांक 08.07.2021, पत्रांक-5-11/2021 आर.आई.सी. दिनांक 16.09.2021, पत्रांक-5-11/2021 आर.आई.सी. दिनांक 27.10.2021, पत्रांक-5-11/2021 आर.आई.सी. दिनांक 09.12.2021 एवं दिनांक 23.12.2021, दिनांक 31.01.2022 व दिनांक 25.02.2022 द्वारा स्वीकृत मद ओएच 36 की क्रमश: प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठी एवं सावतीं किस्त के रूप में प्राप्त कुल केन्द्रांश की धनराशि रू. 1,12,00,000/- (रू0 एक करोड़ बारह लाख मात्र) के समतुल्य राज्यांश की धनराशि रू. 1,12,00,000/- (रू0 एक करोड़ बारह लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- नियोजन विभाग के लेखाशीर्षक '' 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-800-अन्य व्यय -05- गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के अनुदान-20-सहायता अनुदान- सामान्य(गैर वेतन) '' में हो रही बचत को लेखाशीर्षक '' 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-800-अन्य व्यय -05- गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के अनुदान-31-सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) '' में धनराशि रू. 1,12,00,000/- (रू0 एक करोड़ बारह लाख मात्र) का पुनर्विनियोग वित्त विभाग की आर0ई0 संख्या-574/ई-5-30/दस-2022 दिनांक 23.03.2022 द्वारा किया गया है। उपलब्ध करायी गयी रू. 1,12,00,000/- (रू0 एक करोड़ बारह लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत/अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

1. स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।
2. अनुदान का भुगतान करने के लिए बिल आहरण हेतु गिरि विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ द्वारा बनाया जायेगा एवं उस पर अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
3. अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. कोषागार में उतनी ही धनराशि समय-समय पर संस्थान द्वारा आहरित की जायेगी, जिसके भुगतान की तात्कालिक आवश्यकता हो, कोषागार से आहरित की जाने वाली धनराशि की आवयकता का आंकलन/परीक्षण जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत मद में संस्थान के सम्बन्धित बैंक आदि खातों में उपलब्ध धनराशि के आधार पर करते हुए यथा आवश्यक धनराशि के आहरण् हेतु बिल प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
5. उपरोक्त अनुदान का कोई भी भाग ऊपर वर्णित मदों के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। अवमुक्त की जा रही राज्यांश धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अनुदान की आगामी किश्त की मांग के समय उपर्युक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निधारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।
6. इस अनुदान पर राजज्ञा संख्या -ए-2364/दस-17/2(1)/67,दिनांक 20 जुलाई, 1971 के संलग्नक में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
7. उत्तर प्रदेश शासन से स्वीकृत अनुदान के लेखे-जोखे पृथक से रखे जायेंगे तथा उनका निरीक्षण, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की इच्छा अनुसार किसी भी समय किया जा सकेगा तथा परीक्षण राज्य सरकार के नियोजन विभाग के अधिकारियों एवं निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जब कभी वे चाहेंगे, किया जायेगा।
8. संस्थान को स्वीकृत उक्त अनुदान का उपयोग प्रमाण-पत्र संस्थान द्वारा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक, लखनऊ के माध्यम से महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं शासन को समयान्तर्गत भेजा जायेगा। आगामी किश्त की मांग के समय वित्तीय वर्ष 2021-22 के व्यय के आडिटेड ब्यौरों को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
9. उपर्युक्त मद पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अधीन लेखाशीर्षक '' 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-800-अन्य व्यय -05-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ को अनुदान-31-सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) '' के नामें डाला जायेगा।

10. स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित निर्देशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा.संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 39/2022/ 83/35-3-2022/35-3-2022-1(32)/2016टीसी-1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर(आडिटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन,15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या,लखनऊ।
7. अर्थ एवं संख्याधिकारी,लखनऊ।
8. सदस्य-सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद,पोस्ट बाक्स नं.10580, अरूणा आसफ अली मार्ग,नई दिल्ली।
9. निदेशक, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. नियोजन अनुभाग-1
12. गार्ड फाइल/ स्वीकृत पंजी।

आज्ञा से,

(डा.संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।